बिहार विधान परिषद

(198वां मानसून सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

30 जुलाई 2021

[शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी].

Total Short Notice Question- 10

पन्द्रह प्रतिशत वृद्धि का लाभ

*21 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा में दिनांक 15-02-2011 से अथवा उसके बाद से स्वीकृत पद पर नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों को दिनांक 01-04-2021 को देय मूल वेतन में पंद्रह (15) प्रतिशत वृद्धि के पश्चात् संभावित व्यय-भार के आकलन का प्रतिवेदन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से मांगा गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी कोटि के 531 संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को भी दिनांक 01-04-2021 को देय मूल वेतन में पंद्रह (15) प्रतिशत वृद्धि का लाभ देने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से अतिशीघ्र व्यय-भार संबंधी प्रतिवेदन लेने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

छात्राओं का नामांकन

*22 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के वर्ग-1 में 25 प्रतिशत अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय के आलोक में बिहार के कई निजी विद्यालयों यथा बुद्धा निकेतन स्कूल, सीवान, आर डी पब्लिक स्कूल, सैदपुर, पटना, पब्लिक स्कूल, दानापुर एवं जेनिथ पब्लिक स्कूल, अररिया में आर्थिक स्थिति से कमजोर छात्राओं का नामांकन वर्ष 2016 में किया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि नामांकित छात्राओं को स्कूल से निकाल दिया गया है, यदि हां तो निकाले जाने का क्या औचित्य है?

वेतन भुगतान

***23 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के नियोजित शिक्षक/पुस्तकालाध्यक्ष 17 फरवरी 2020 से 25 मार्च 2020 तक हड़ताल पर गये थे;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार से समझौता के बाद निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग के पत्रांक – 750, दिनांक 03-06-2020 द्वारा हड़ताल की अवधि का वेतन हड़ताल के सामंजन के बाद दिया जाना है, जबकि आरा नगर निगम, पटना जिला के कुछ विद्यालयों एवं राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का हड़ताल अवधि के सामंजन के बाद भी वेतन भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हड़ताल अवधि का वेतन शीघ्र भुगतान करेगी, यदि हां तो कबतक?

परिक्षाफल का पूर्ण प्रकाशन

***24 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिक्षकों के नियोजन के लिए 2011 में प्रकाशित विज्ञापन में महिलाओं को उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत का लाभ दिया गया है, जिनका नियोजन अभी हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि 2019 के विज्ञापन में महिलाओं को 5 प्रतिशत के उत्तीर्णांक के लाभ से वंचित कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप भौतिकी, विज्ञान एवं अन्य महत्वपूर्ण अनिवार्य विषयों की रिक्तियां नहीं भरी जा सकी हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महिला सशक्तिकरण की अपनी घोषणा के अनुरूप 2019 के विज्ञापन में हुई लिपिकीय भूल सुधार करते हुए महिलाओं की शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षाफल का पूर्ण प्रकाशन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

बाध्यता शिथिल

***25** **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के 72 अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अधिकांश पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं, फलतः शिक्षकों के अभाव में वर्षों से पठन-पाठन भी बाधित है;

(ख) क्या यह सही है उक्त विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एस०टी०ई०टी० परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता सरकार द्वारा की गयी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के 72 अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु एस०टी०ई०टी० उत्तीर्ण होने की बाध्यता को शिथिल करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

ए०सी०पी० का लाभ कबतक

***26 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, 10 मैंगल्स रोड – पटना, शिक्षा विभाग के अधीन एक सरकारी संस्थान है;

(ख) क्या यह सही है कि संस्थान में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कुल पांच कर्मियों को ही शिक्षा विभाग के पत्रांक – 2494, दिनांक – 31.12.2014 तथा पत्रांक – 1749, दिनांक – 10.10.2017 द्वारा ए०सी०पी० का लाभ प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि संस्थान के शेष वंचित कर्मियों को ए०सी०पी० देने के लिए संचिका सं० – 15/एम-01-55/17 जून, 2020 से ही शिक्षा विभाग में लंबित है जबकि खण्ड (ख) के कर्मियों के अनुरूप इनकी भी अर्हता है;

(घ) क्या यह सही है कि ए०सी०पी० लाभ से वंचित आठ कर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिसमें एक कर्मी डा० मनोरमा सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर CWJC NO – 23820/2019 में भुगतान हेतु पारित आदेश, दिनांक – 31.01.2020 के न्यायादेश का भी विभाग द्वारा अबतक अनुपालन नहीं किया गया है;

(ड़) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संस्थान की लंबित संचिका – 15/एम-01-55/17 का निष्पादन अविलंब करते हुए शेष वंचित कर्मियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी० का लाभ यथाशीघ्र देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

कार्रवाई कबतक

***27 डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत उचकागांव प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पकड़ी श्रीकांत का भवन निर्माण लगभग पांच वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया जो अभी तक दरवाजा के स्तर तक ही बन पाया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त भवन निर्माण की राशि प्रधानाचार्य एवं संवेदक द्वारा पूर्णतः निकाल ली गयी है, परन्तु अभी तक अधूरे भवन का निर्माण नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन निर्माण की जांच कराकर दोषी प्रधानाचार्य एवं संवेदक पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नियोजन शीघ्र कबतक

*28 **श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत औराई प्रखण्ड के ग्राम + पो० – भदई निवासी श्री शम्स परवेज आलम, पिता – श्री अफजालुर्रहमान का वर्ष 2003 के शिक्षामित्र पंचायत शिक्षक नियोजन में वरीयता सूची में क्रम सं० – 07 था;

(ख) क्या यह सही है कि स्थानीय मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा रिश्वत लेकर नियोजन नियमावली का उल्लंघन करते हुए क्रम सं० – 08 एवं 09 पर रहे अभ्यर्थियों को नियोजित कर दिया गया;

(ग) क्या यह भी सही है कि श्री शम्स प्रवेज आलम द्वारा वरीयता क्रम में उनके बाद आने वाले अभ्यर्थियों को नियोजित किए जाने के विरुद्ध मा० पटना उच्च न्यायालय में CWJC N0 – 11514/2007, CWJC N0 – 10799/2012 एवं अपीलवाद सं० – 184/2018 दायर किया गया, इन सभी में मा० न्यायालय द्वारा सक्षम पदाधिकारी को श्री आलम को नियोजित करने संबंधी आदेश निर्गत किया गया;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए वरीयता क्रम में ऊपर रहने वाले श्री शम्स परवेज आलम का नियोजन शीघ्र करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

खेलकूद का उत्थान

*29 **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **कला, संस्कृति एवं युवा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला में कला, संस्कृति, साहित्य और खेलकूद के उत्थान हेतु पिछले 10 वर्षों में करोड़ों रुपया आवंटित किया गया, परन्तु विभाग अभी तक प्रतिभाओं को तराशने, उचित मंच देने एवं प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मंच नहीं मिलने में असफल रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिवहर जिले में कला, संस्कृति, साहित्य एवं खेलकूद के उत्थान करने की विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

प्राथमिकी दर्ज

*30 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी भी विश्वविद्यालय में बिना राज्य सरकार की अनुमति के पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जा सकता है;

(ख) क्या यह सही है कि नवसृजित पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया में लगभग बीस (20) पाठ्यक्रमों का संचालन बिना राज्य सरकार की अनुमति के ही किया गया है जिससे संबंधित सारे साक्ष्य उच्च शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध हैं;

(ग) क्या यह भी सही है कि अवैध रूप से संचालित उन पाठ्यक्रमों की डिग्री बॉटने के नाम पर सूबे के छात्र-छात्राओं को अखबारी विज्ञापन के साथ-साथ ई-विज्ञापन के माध्यम से करोड़ों रुपये की वसूली की गई और इसकी बंदरबांट भी की गयी;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे अवैध कृत्यों के लिए तत्कालीन कुलपति और इसमें शामिल पदाधिकारियों पर धोखाधड़ी एवं जालसाजी संबंधी प्राथमिकी दर्ज करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?